छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 4–204/सात–1 /2016 नया रायपुर, दिनांक 16 JAN 2017

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त,
   छत्तीसगढ़
2. समस्त कलेक्टर्स,
   छत्तीसगढ़
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत, छत्तीसगढ़

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए भूमिहीन हितग्राहियों को मकान निर्माण के लिए आबादी भूमि का पट्टा प्रदाय करने बाबत्।

–00–

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा केन्द्र प्रवर्तित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत बेघर तथा आवासहीन परिवारों को उनके स्वयं के लिए बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का आवास गृह निर्माण हेतु आर्थिक सहायता अनुदान प्रदाय किया जाता है।

2/ ग्रामीण क्षेत्रों में आवास गृह निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता के साथ–साथ आबादी भूखण्ड की भी आवश्यकता होती है। जिन व्यक्तियों के पास पहले से आबादी भूखण्ड उपलब्ध है, उनके द्वारा उक्त योजना के तहत अपने स्वयं के आबादी भूखण्ड पर आवास निर्माण कराया जावेगा, लेकिन जिन व्यक्तियों के पास न तो स्वयं का आवास है, और न ही उनके पास गांव में आबादी की कोई भूखण्ड उपलब्ध है, उन्हें योजना का लाभ देने के लिए सबसे पहले आबादी की भूखण्ड उपलब्ध कराना होगा। तत्पश्चात ही उनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राप्त आर्थिक सहायता से पक्का मकान का निर्माण किया जा सकेगा।

3/ प्रदेश के कुछ जिलों से इस बिन्दु पर मार्गदर्शन चाहा गया है, कि क्या मुख्यमंत्री आबादी पट्टा वितरण योजना के तहत जो आबादी पट्टा वितरण किया जा रहा है, उसमें आवासहीन व्यक्तियों को भी आबादी भूमि का पट्टा दिया जा सकता है ?

4/ उक्त संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है, कि मुख्यमंत्री आबादी पट्टा वितरण योजना के तहत पुरानी प्रचलित आबादी भूमि का सर्वेक्षण कर अभिलेख तैयार करने तथा भूखण्ड धारकों को आबादी भूमि का पट्टा देने संबंधी कार्यवाही की जा रही है। उक्त योजना के तहत नये आवासहीन व्यक्तियों को आबादी भूमि का पट्टा देने की कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः चाहे गये मार्गदर्शन के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है, कि मुख्यमंत्री आबादी पट्टा वितरण योजना के तहत आवासहीन व्यक्तियों को आबादी भूमि का पट्टा नहीं दिया जा सकता है।

5/ लेकिन छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 243 एवं 244 में किसी भी ग्राम में अन्य मद की दखल रहित शासकीय भूमि को आबादी घोषित करने तथा आबादी भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत के द्वारा वितरण करने का प्रावधान है। अतः ग्राम में यदि कोई व्यक्ति आवासहीन है तथा उसके पास भवन बनाने के लिए आबादी भूमि उपलब्ध नहीं है, तो उसे पूर्व में घोषित आबादी भूमि में से वितरण हेतु शेष आबादी भूमि से आबादी भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा दिया जा सकता है। यदि किसी ग्राम में पूर्व घोषित आबादी भूमि उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे ग्रामों में ग्राम पंचायत की मांग तथा सहमति के आधार पर सबसे पहले उपयुक्त शासकीय भूमि को संहिता की धारा 237 के प्रावधानों के तहत आबादी घोषित करने की कार्यवाही की जाये, तत्पश्चात उक्त आबादी भूमि का पट्टा वितरण की कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा किया जावे। उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा वितरण करने के बाद पट्टे की भूमि पर संबंधित हितग्राही द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास गृह निर्माण किया जावे। यदि ग्राम में आबादी घोषित करने हेतु उपयुक्त शासकीय भूमि नहीं है, तो ग्राम से लगे हुए निजी भूमि को भी भूमि अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के तहत भूअर्जन किया जाकर आवासहीनों को आबादी भूमि का पट्टा उपलब्ध कराया जा सकता है। मुआवजा का भुगतान राजस्व विभाग के मद से किया जावेगा।

5/ कृपया इस निर्देश की जानकारी सभी संबंधितों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, साथ ही संहिता के प्रावधानों के तहत नियमानुसार आबादी भूमि की व्यवस्था करने तथा वितरण करने की कार्यवाही करें।

(के.आर. पिस्दा) 13/1/2017
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 4–204/सात–1 /2016 नया रायपुर, दिनांक 16 JAN 2017

प्रतिलिपि –

अपर मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

सचिव 13/1/2017
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग